



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 17355/2025

निजामुद्दीन

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

:

राजीव सिसोदिया, शशांक द्विवेदी

प्रतिवादी अधिवक्ता

:

जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक द्विवेदी को सुना गया, राज्य के ओर से ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना गया और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखा गया।
3. यह जमानत अर्जी आवेदक ने मामला अपराध संख्या 1034 वर्ष 2024, धारा 103(1) बी.एन.एस. एवं 4/25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत, पुलिस स्टेशन कोतवाली शहर, जिला बिजनौर में दायर की है, जिसमें उसे जमानत बढ़ाने की प्रार्थना की गई है।
4. अभियोग पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक ने 3.11.2024 की रात लगभग 04:00 बजे अपनी पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि प्राथमिकी बहुत जल्दी दर्ज की गई क्योंकि यह सुबह 05:24 बजे दर्ज की गई थी। आरोप अपने आप में झूठे हैं। आवेदक का उस अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 4.11.2024 से जेल में है, इसलिए, जेल में रहने का समय डेढ़ साल से ज्यादा हो गया है। वह मुकदमे में सहयोग

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने के लिए तैयार है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया है।

7. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति के बारे में पूछा था।

22.1.2026 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, चार गवाहों से पूछताछ की गई है।

8. दोनों पार्टियों के अधिवक्ताओं की बात सुनने के बाद, प्राथमिकी की तेजी और आवेदक के अपनी पत्नी की हत्या करने का अकेला आरोपी होने को ध्यान में रखते हुए, मुझे आवेदक को जमानत देने का यह सही मामला नहीं लगता।

9. जमानत अर्जी में कोई दम नहीं पाया गया और इसलिए उसे खारिज किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि अगर कोई कानूनी रुकावट नहीं है, विचारण न्यायालय में लंबित ऊपर बताए गए मामले का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसलों में बताए गए सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जल्दी किया जाए, जिसमें **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एससीसी 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एससीसी 702** के मामले शामिल हैं।

11. यह साफ़ किया जाता है कि यहां की गई बातें सिर्फ़ उन बातों तक सीमित हैं जो पार्टियों ने जमानत अर्जी के निपटारे से जुड़ी बताई हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

27 जनवरी, 2026

(विकास वर्मा)



Translated version. not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।